



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243869
CG-DL-E-24022023-243869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944

No. 834]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 फरवरी, 2023

का.आ. 868(अ).—जबकि, सेवाएं या लाभ या सब्सिडी देने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की परिदान प्रक्रिया आसान होती है, पारदर्शिता और कुशलता लाती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपना हक सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा आधार, किसी की पहचान साबित करने के लिए बहु-दस्तावेजों की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है;

और जबकि, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय निर्दिष्ट किया गया है) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (जिसे इसके पश्चात् स्कीम निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन नस्ल वृद्धि फार्म योजना, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और सेक्स सॉर्टेड वीर्य तथा इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम घटकों को प्रशासित करता है, जिसे देश भर में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (जिसे इसके पश्चात् उपबंध-I में दिए गए व्यौरे के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण निर्दिष्ट किया गया है) के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है;

और जबकि, स्कीम के अधीन, वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न उप-घटकों के लिए ऋण-सह-सब्सिडी से जुड़े कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु अन्य बातों के साथ-साथ किसानों, और व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं

सहायता समूहों (एसएचजी) या किसान सहकारी संगठन (एफसीओ) या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा-8 कंपनियों (जिन्हें इसके पश्चात् लाभार्थी निर्दिष्ट किया गया है) को उपाबंध-II दिए गए व्यौर के अनुसार सब्सिडी और सेवाओं की प्रतिपूर्ति (जिन्हें इसके पश्चात् लाभों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की जाती है;

और जबकि, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, आधार (सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित की अपेक्षा करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आधार कार्ड रखने का प्रमाण देना होगा या आधार प्रमाणन से गुजरना होगा।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या, अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध] पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग को उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित खंड या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित होने की दशा में संबंधित उक्त विभाग, विद्यमान विस्तार रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं विस्तार रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक जगहों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परंतु जब तक व्यक्ति को आधार दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दिया जाएगा, अर्थात् -

(क) यदि लाभार्थी ने नामांकन किया है, तो उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायो-मेट्रिक अपडेट प्रमाणीकरण पर्ची; और

(ख) लाभार्थी का निम्न में से कोई भी पहचान दस्तावेज़ अर्थात् (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) विस्तारित जॉब कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति की फोटो लगी हो; या (x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग, जो कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाएगा, अर्थात्:

- (क) खराब गुणवत्ता के फिंगरप्रिंट मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस (आईआरआईएस) स्कैन या फेस प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग, जो कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, निर्बाध रूप से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आईरिस (आईआरआईएस) या फेस स्कैनर की व्यवस्था करेगा।
- (ख) उंगलियों के निशान या आईरिस या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, पेश किया जाएगा;
- (ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड समय-आधारित वन टाइम-पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, भौतिक आधार कार्ड के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

4. कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान करेगा।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एन-04/52/2022-गोपशु प्रभाग]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

उपाबंध - I

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों की सूची

क्र.सं.	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण
1	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन अभिकरण
2	पंजाब पशुधन विकास बोर्ड
3	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड
4	हिमाचल प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड
5	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड
6	उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड
7	पशुपालन विभाग, लद्दाख
8	आंध्र प्रदेश पशुधन विकास अभिकरण
9	तेलंगाना राज्य पशुधन विकास अभिकरण
10	तमिलनाडु पशुधन विकास अभिकरण
11	कर्नाटक पशुधन विकास अभिकरण
12	केरल पशुधन विकास अभिकरण
13	पशुपालन विभाग, अंदमान और निकोबार

14	पशुपालन और पशु कल्याण विभाग, पुडुचेरी
15	पशुपालन विभाग, लक्षद्वीप
16	गुजरात पशुधन विकास बोर्ड
17	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड
18	महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड
19	पशुपालन विभाग, गोवा
20	मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
21	पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं, दादरा और नगर हवेली
22	पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं, दमन
23	झारखंड राज्य गोपशु और भैंस विकास कार्यान्वयन अभिकरण
24	छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण
25	बिहार पशुधन विकास सोसायटी
26	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी सघ लिमिटेड कॉम्पेड-सरकार
27	ओडिशा पशुधन संसाधन विकास सोसायटी
28	पश्चिम बंगाल गो-संपद विकास संस्था
29	असम पशुधन विकास अभिकरण
30	अरुणाचल प्रदेश पशुधन विकास सोसायटी
31	मणिपुर पशुधन विकास बोर्ड लिमिटेड
32	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, मेघालय
33	सिक्किम पशुधन विकास बोर्ड
34	नागालैंड पशुधन विकास बोर्ड
35	त्रिपुरा पशुधन विकास अभिकरण
36	गोपशु और भैंस प्रजनन पर राष्ट्रीय परियोजना की राज्य कार्यान्वयन इकाई, मिजोरम
37	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

अनुबंध - II

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के विभिन्न घटकों के अधीन सब्सिडी या लाभों के ब्यौरे

क्र.सं.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अधीन घटक का नाम	सब्सिडी या लाभ की प्रकृति	लाभार्थियों के प्रकार
1	नस्ल वृद्धि फार्म	अधिकतम दो करोड़ रुपये तक फ्रंट-एंडिंग और बैक एंडिंग पूंजीगत सब्सिडी	व्यष्टिक या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या किसान सहकारिता संघ (एफसीओ) या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियां
2	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	लाभ – निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान	किसान – स्कीम का लाभ लेने वाले गाय या भैंस के स्वामी
3	सेक्स सॉर्टिंग सीमेन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम	सेक्स सॉर्टिंग सीमेन की लागत का पचास प्रतिशत पाँच हजार रुपये प्रति इन विट्रो फर्टिलाइजेशन	किसान –स्कीम का लाभ लेने वाले गाय या भैंस के स्वामी

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2023

S.O. 868(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the scheme of Breed Multiplication Farm, Nationwide Artificial Insemination Programme and Accelerated Breed Improvement Programme using Sex Sorted Semen and through In Vitro Fertilization – components under the Rashtriya Gokul Mission (herein referred to as the Scheme) which is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the State Implementing Agencies and National Dairy Development Board (herein after referred to as the Implementing Agency as per details given as Annexure I) across the country;

And whereas, under the scheme, subsidy and services are reimbursed (herein referred to as the benefits) as per details at Annexure II, inter-alia, to the farmers, and individual entrepreneurs or Self Help Group (SHG) or Farmers Cooperative Organisation (FCO) or Farmers Producers Organizations (FPOs) or Joint Liability Groups (JLG) and section 8 companies (hereinafter referred to as the beneficiaries), towards central assistance for credit-cum-subsidy linked activities for the different sub components as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby requires the following namely:—

1. (1) Every eligible beneficiaries desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Every eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the said concerned Department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing registrars of expand or by becoming expand registrars itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) if beneficiary has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip or biometric update identification slip; and
- (b) any one of the following identify documents of the beneficiary namely:- (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identification Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) expand Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely: —

- (a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make provisions for IRIS scanners or Face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter.

4. The necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. N-04/52/2022-Cattle_Div]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Annexure I

List of State Implementing Agencies

Sl.No.	State Implementing Agency
1	Jammu and Kashmir State Implementing Agency
2	Punjab Livestock Development Board
3	Haryana Livestock Development Board
4	Himachal Pradesh Livestock Development Board
5	Uttarakhand Livestock Development Board
6	Uttar Pradesh livestock Development Board
7	Department of Animal Husbandry, Ladakh
8	Andhra Pradesh Livestock Development Agency
9	Telangana State Livestock Development Agency
10	Tamil Nadu Livestock Development Agency
11	Karnataka Livestock Development Agency
12	Kerala Livestock Development Agency
13	Department of Animal Husbandry, Andaman and Nicobar
14	Dept of Animal Husbandry and Animal Welfare, Puducherry
15	Department of Animal Husbandry, Lakshadweep
16	Gujarat Livestock Development Board
17	Rajasthan Livestock Development Board
18	Maharashtra Livestock Development Board
19	Department of Animal Husbandry, Goa
20	Madhya Pradesh Livestock and Poultry Development Corporation
21	Animal Husbandry and Veterinary Services, Daman
22	Animal Husbandry and Veterinary Services, Dadra and Nagar haveli
23	Jharkhand State Implementing Agency for Cattle and Buffalo Development
24	Chhattisgarh State Livestock Development Agency
25	Bihar Livestock Development Society
26	Comfed-Government Bihar State Milk Cooperative Federation Limited
27	Orissa Livestock Resource Development Society
28	Pachim Banga Go-sampad Bikash Sanstha
29	Assam Livestock Development Agency
30	Arunachal Pradesh Livestock Development Society
31	Manipur Livestock Development Board Limited.

32	State Implementing Agency, Meghalaya
33	Sikkim Livestock Development Board
34	Nagaland Livestock Development Board
35	Tripura Livestock Development Agency
36	State Implementing Unit, Mizoram of National Project on Cattle and Buffalo Breeding
37	National Dairy Development Board

Annexure II**Details of the subsidy or benefits under different components of Rashtriya Gokul Mission**

Sl. No.	Name of the component under Rashtriya Gokul Mission	Nature of Subsidy or benefit	Type of beneficiaries
1	Breed Multiplication Farm	Front ended and back ended capital subsidy maximum up to Rs. Two crore	Individual or Self Help Group (SHG) or Farmers Cooperative Organisation (FCO) or Farmers Producers Organizations (FPOs) or Joint Liability Groups (JLG) and section 8 companies
2	Nationwide Artificial Insemination Programme	Benefit – Free Artificial Insemination	Farmers – owner of the cow or buffalo taking benefit of the scheme
3	Accelerated Breed Improvement Programme using Sex Sorted Semen and through In Vitro Fertilization	fifty percent of the cost of sex sorted semen Rupees five thousand per In Vitro Fertilization pregnancy	Farmers – owner of the cow or buffalo taking benefit of the scheme